



वन्द्य सुमर भुइहर वा रामसरन भुइहर से प्राप्त है। प्रथम पक्ष का आगे कथन है कि केवाला में कुल 4.49 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> ए० के साथ कुल 6.74 ए० में तीसरा हिस्सा प्राप्त है, एवं प्लॉट सं० 902 रकबा 0.26 ए० में तीसरा हिस्सा 0.12 ए० भूमि हिस्से में आती है। पुराना रसीद डिमांड 4.49 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> ए० का लगान रसीद निर्गत है।

द्वितीय पक्ष का कथन है कि वाद की कार्रवाई की जाने वाली भूमि मौजा बड़गड़के पुराना खाता सं० 51 प्लॉट सं० 902 रकबा 0.52 ए० भूमि नया खाता सं० 9 प्लॉट सं० 1184 रकबा 0.08 ए० भूमि हाल सर्व खतियानी रैयत अमेश उर्रौव वो रूपचन्द उर्रौव पिता तेतरा उर्रौव वो के वंशज सुरेश लकड़ा पिता रूपचन्द उर्रौव से विक्रीनामा प्राप्त कर पीएम आवास बनाया जा रहा है। दस्तावेज के रूप में विक्रेता का हाल सर्व खतियानी एवं हाल लगान रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्षों के कथनों प्रस्तुत किये गये कागजातों राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रश्नगत भूमि जाँच प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों पर गौर करने के उपरान्त वाद में वर्णित भूमि हाल सर्व खतियान में अमेश उर्रौव से रूपचन्द उर्रौव पिता तेतरा उर्रौव दर्ज है, जिसमें खाता सं० 61 प्लॉट सं० 1184 रकबा 0.55 ए० भूमि दर्ज है। पुराना सर्वे के आधार पर आवेदक रमेश प्रसाद सोनी के पिता वैजनाथ प्रसाद सोनी एवं रामनाथ प्रसाद, रामलखन प्रसाद खाता सं० 51 प्लॉट सं० 902 रकबा 0.26 ए० खतियानी रैयत देवशरण भुइहर पिता प्रगास भुइहर के वंशज से विक्री केवाला प्राप्त है। पुराना प्लॉट सं० 902 रकबा 0.26 ए० भूमि विक्री के पश्चात् उक्त प्लॉट में 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> ए० भूमि शेष बचती है। प्रश्नगत रैयती भूमि 0.08 डी० पर प्रधान मंत्री आवास योजना अन्तर्गत अर्द्ध-निर्मित निर्माण कार्य पर रोक संवंधी आवेदन को निरस्त करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवम् संशोधित।

अंचल अधिकारी,  
भण्डरिया।

अंचल अधिकारी,  
भण्डरिया।



COPIED BY  
Date 01/08/2022  
Anchal - Bhandariya

Filed to be a true copy.

Authorised under Sec. 76 of the Act.

Application fee  
Stamp fee  
Authentication fee  
Printing fee  
Copying fee

Total 6.00

21/8/22

न्यायालय:- अंचल अधिकारी, भण्डरिया।

विविध वाद सं०- ०१/२०२१-२२....

श्री रमेश प्रसाद वगैरह बनाम् श्री अमरदीप दास

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
06.01.2022	<p>आवेदक रमेश प्रसाद सोनी पिता बैजनाथ प्रसाद साकिन बड़गड़ पो० बड़गड़ थाना भण्डरिया जिला गढ़वा से प्राप्त आवेदन पत्र जो मौजा बड़गड़ के खाता सं० 51 प्लॉट सं० 902 रकबा 0.26ए० पर अमरदीप दास द्वारा भूमि पर निर्माण कार्य को बन्द कराने से संबंधित आवेदन समर्पित की गई है। आवेदन के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक, प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से भूमि जॉच प्रतिवेदन की जाँच करें।</p> <p>अभिलेख..... 12.02.22 को रखें।</p> <p>अंचल अधिकारी, भण्डरिया।</p>	
12.02.2022	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>राजस्व उप निरीक्षक, प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से भूमि जॉच प्रतिवेदन प्राप्त। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख..... 15.02.22 को रखें।</p> <p>अंचल अधिकारी, भण्डरिया।</p>	
19.02.2022	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>भूमि वाद संबंधी वाद की कार्रवाई में उभय पक्ष उपस्थित होकर कागजात दाखिल किया गया। वाद की कार्रवाई मौजा बड़गड़ के खाता सं० 51 प्लॉट सं० 902 रकबा 0.26ए० के संबंध में चल रही है।</p> <p>प्रथम पक्ष का कथन है कि वाद की कार्रवाई वाली भूमि मौजा बड़गड़ में स्थित है जिसका खाता सं० 51 प्लॉट सं० 902 रकबा 0.26ए० भूमि केवाला सं० 222 दिनांक 11.01.1983 में विक्रेता सरदार भुईहर वल्द स्व० सुमेर भुईहर वो गणेश भुईहर वल्द सरदार भुईहर से बैजनाथ प्रसाद वो रामनाथ प्रसाद वो रामलखन प्रसाद वल्द रामवृक्ष प्रसाद को प्राप्त है। एक अन्य केवाला उक्त प्लॉट से संबंधित विक्रेता बुधु भुईहर</p>	

